

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 6ए/वि01-10150/2017 - 1745

पटना, दिनांक :- 1/11/25

सेवा में,

महालेखाकार,

वीर चंद पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषय—वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-4215—जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय—उपमुख्य शीर्ष-01—जल पूर्ति—लघु शीर्ष-796—जनजातीय क्षेत्र उप योजना—मांग संख्या-36—उपशीर्ष-0317—राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन मिशन)—विपत्र कोड-36-4215017960317—विषय शीर्ष-0317.53.01—मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष के अन्तर्गत 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति।

आदेश — स्वीकृत।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन मिशन) के लिए वर्ष 2025-26 में योजना बजट में 50.00 लाख रुपये का प्रावधान है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका के कंडिका-4.6 (Support Activities) में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/जल जीवन मिशन अंतर्गत उपबंधित निधि का 5% (पाँच प्रतिशत) तक की राशि का उपयोग सपोर्ट गतिविधियों पर करने का प्रावधान है।

2. राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका के कंडिका-4.6 में निहित प्रावधान के आलोक में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन मिशन) के लिए वर्ष 2025-26 में योजना बजट में प्रावधानित में 50.00 लाख रुपये में से 5% (पाँच प्रतिशत) राशि अर्थात् 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये) मात्र का व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/जल जीवन मिशन के सपोर्ट गतिविधियों पर किया जाना है। इसके लिए बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को उक्त राशि उपलब्ध कराया जाना है।

3. इस योजना पर होने वाला व्यय योजना का मुख्य शीर्ष-4215—जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय—उपमुख्य शीर्ष-01— जल पूर्ति—लघु शीर्ष-796—जनजातीय क्षेत्र उप योजना—मांग संख्या-36—उपशीर्ष-0317—राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन मिशन)—विपत्र कोड-36-4215017960317—विषय शीर्ष-0317.53.01—मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष के अन्तर्गत भारितव्य होगा।

4. उक्त शीर्ष के तहत JJM (NRDWP) अंतर्गत स्वीकृत सपोर्ट गतिविधियों तथा आवंटन आदेश संख्या- 2' (आ0) दिनांक- 01/11/25 के आलोक में राशि निकासी की जायेगी।

5. इस राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्र संख्या - 5537, दिनांक- 24-06-2015 में निहित प्रावधानों के तहत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना द्वारा की जायेगी, जो सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से राशि CFMS के माध्यम से निकासी कर विश्वेश्वरैया भवन, कोषागार, पटना स्थित बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0 एल0 खाता संख्या-PNBPLA006, विपत्र कोड-00-8448-00-120-0041 में अन्तरण द्वारा करायेंगे एवं चालान की एक प्रति प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, पटना को उपलब्ध करा देंगे।

6. विषयगत राशि की निकासी की स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998 एवं ज्ञापांक-एम-4-09/2014-2793/वि0, दिनांक-04.04.2016 के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति के कार्यान्वयन हेतु प्रदान की गई है।

7. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार का सहमति प्राप्त है।

8. इस पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

9. यह राशि बजट के अधीन है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव (मुख्यालय)

ज्ञापांक - 1745

पटना, दिनांक - 2/11/25

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय)

ज्ञापांक-1745

पटना, दिनांक - 2/11/25

2. वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. संयुक्त निदेशक, जल जीवन मिशन/प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सचिव के आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन)/मुख्य अभियन्ता (उत्तरी बिहार/दक्षिणी बिहार)/मुख्य अभियन्ता (रूपांकण)/संयुक्त सचिव (प्र0को0)/अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/विशेष पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/ कार्यपालक अभियन्ता (मो0-11)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित/आई0 टी0 मैनेजर (बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु)/लेखाशाखा/रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/प्रशाखा पदाधिकारी-6/कार्यवाहक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी-6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय)